हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 341/2022 अनवान संतोष बनाम टीमोदेवी**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

निर्णय

06/01/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर हाल बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 472 रकबा 0.3399 हैक्टयर, खसरा संख्या 477 रकबा 0.7042 हैक्टयर, खसरा संख्या 479 रकबा 0.0162 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 480 रकबा 4.4920 हैक्टयर भूमि आई हुई है, जिसमे हिस्से खुले हुए नही है। मौके पर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा सड़क की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करवा रहे है। प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6—1/6 हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है, लेकिन प्रार्थीगण के रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 01 से 06 प्रार्थीगण को सड़क की भूमि से वंचित कर उसके कब्जे में व अजनबी व्यक्तियों को बिना बंटवाड़ा करवाये बेचान कर प्रार्थीगण की भूमि में काबिज करवाने पर उतारू है। यदि वह उसम सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही प्रार्थी के हिस्से भूमि में निर्माण कार्य करवावें। मौके व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO),बाडमेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 341/2022 अनवान संतोष बनाम टीमोदेवी**
	उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रकरण में दिनांक 06.01.2023 को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की बहस अनुसार वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 05 भी मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने को निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर आगोर हाल बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 472 रकबा 0.3399 हैक्टयर, खसरा संख्या 477 रकबा 0.7042 हैक्टयर, खसरा संख्या 479 रकबा 0.0162 हैक्टयर तथा खसरा संख्या 480 रकबा 4.4920 हैक्टयर भूमि में मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर